समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दिनांक 28.07.2014 को आयोजित जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय

क्र0	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
1.	जाले विधानसभा उप चुनाव के लिये सभी कोषांगों का गठन कर दिया गया है। कोषंगों के प्रभारी पदाधिकारी को अपना–अपना कोषांग सुचारू रूप से संचालित करने का निदेश दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग को निदेश दिया गया कि वे कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिये कार्यक्रम तैयार कर लें। प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को निदेश दिया गया कि कार्मिकों के आवश्यकता के अनुरूप उनका चयन करते हुये कम्प्यूटरीकृत करा दें। कर्मचारियों के चयन में यह ध्यान रखें कि जाले क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत कर्मियों, बी0एल0ओ0 आदि को जिला स्तर से निर्वाचन कार्य में नहीं लगाया जाय तथा हाल में हुये स्थानान्तरण को भी ध्यान में रखते हुये कार्मिकों का चयन करें। पी0सी0सी0पी0 के लिये अच्छे पदाधिकारियों का चयन करने का निदेश दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, ई0वी0एम0 कोषांग को ई0वी0एम0 का एफ0एल0सी0 एवं सिलिंग कार्य अच्छी तरह से करवाने तथा ई0वी0एम0 के रैन्डोमाईजेशन के लिये तिथि निर्धारित करने का निदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर द्वारा उक्त निर्वाचन के अवसर पर आम सभा, जुलूस आदि की स्वीकृति दी जायेगी। जाले विधानसभा अन्तर्गत जितने भी मैदान है, उसकी सूची की एक पंजी संधारित करने का निदेश उन्हें दिया गया। उन्हें यह भी निदेशित किया गया कि शैक्षणिक अवधि में किसी भी स्थिति में विद्यालय के मैदान में चुनाव संबंधी आम सभा या अन्य कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाय। हेलीकाप्टर की अनुमति भी अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के स्तर से दी जायेगी, वशर्ते की कार्यपलाक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा हेलीपैड के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र दे दी गयी हो। लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति भी अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के स्तर से नियमानुसार दी जायेगी। विभिन्न उम्मीदवारों को वाहन की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से दी जायेगी। उन्हें वाहन पंजी संधारित करने का निदेश दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग को निर्वाचन के अवसर पर वाहन का आकलन करने तथा उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। पी0सी0सी0पी0 का डिस्पैच राजकीय पालिटेकनिक, दरभंगा से तथा कार्मिकों का डिस्पैच सिंहवाड़ा प्रखंड से किया जायेगा। मतगणना का प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निदेश उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग को विभिन्न प्रपत्रों का आकलन करने का निदेश दिया गया। विगत लोकसभा चुनाव के विपत्रों की जॉच आज से ही प्रारंभ करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।	संबंधित कोषांगों के वरीय प्रभारी/प्रभारी पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा/अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी
2.	जिला विधि शाखा के कार्यो की समीक्षा के कम में पाया गया कि कुल 20 एम0जे0सी0 लंबित है। एम0जे0सी0 संख्या 5936/2011 भुवनेश्वर यादव बनाम राज्य सरकार के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार तीन अभियंताओं के विरूद्ध कार्रवाई ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा की जानी है। इस संबंध में पारित न्यायादेश की प्रति संलग्न करते हुये विभाग से पत्राचार करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को दिया गया। एम0जे0सी0 मीर मोहम्मद ईशा बनाम राज्य सरकार के मामले में प्रोजेक्ट डायरेक्टर एन0एच0आई0, दरभंगा के स्तर से सी0डब्लू0जे0सी0 में पारित आदेश का अनुपालन किया जाना है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में एन0एच0ए0आई0 द्वारा विभाग से पत्राचार किया गया है। आयुक्त, दरभंगा नगर निगम से संबंधित तीन मामले है, एम0जे0सी0 भोला प्रसाद मल्होत्रा बनाम बिहार राज्य, सीताराम प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं ए टू जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 बनाम बिहार सरकार। आयुक्त, दरभंगा नगर निगम द्वारा बताया गया कि भोला प्रसाद मल्होत्रा के मामले में एक सी0डब्लू0जे0सी0 भी दायर है, जिसमें प्रति शपथ पत्र दाखिल करने की कार्रवाई की जा रही है। सीताराम प्रसाद एवं ए टू जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के मामले में भी कारणपृच्छा दाखिल करने की कार्रवाई की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से संबंधित दो मामले है, एम0जे0सी0 निखिल रंजन झा बनाम राज्य, एम0जे0सी0 शमशुल होदा बनाम राज्य के मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा चुका है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इन दोनों मामलों में तथ्य विवरणी संबंधित अधिवक्ता के यहाँ जमा करवायी जा चुकी है। उन्हें निदेश दिया गया कि इस सप्ताह में दोनों मामलों में कारणपृच्छा दाखिल करवाना सुनिश्चित करें। एम0जे0सी0 महादेव झा बनाम राज्य, के मामले में खान निरीक्षक, दरभंगा से तथ्य विवरणी प्राप्त हुई है, जिसमें कतिपय संशोधन की आवश्यकता है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को उक्त तथ्य विवरणी में आवश्यक संशोधन करवाने का निदेश दिया गया।	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा/आयुक्त, दरभंगा नगर निगम/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा

3.	एम0जे0सी0 आलोक नाथ मिश्रा बनाम बिहार राज्य, जो अतिकमण खाली करवाने से संबंधित है में तथ्य विवरणी प्राप्त हुई है। इस मामले में अवशेष अतिकमण इस सप्ताह में हटवाने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को दिया गया। एम0जे0सी0 राणा रंजीत सिंह बनाम राज्य, एम0जे0सी0 सी0एम0 कॉलेज शिक्षक संघ बनाम बिहार राज्य एवं एम0जे0सी0 संजय कुमार एवं अन्य बनाम राज्य के संबंध में स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि तीनों मामलों में तथ्य विवरणी अनुमोदित हो चुकी है। उन्हे इस सप्ताह में कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 रामाकान्त सहनी बनाम राज्य का मामला प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिरौल से संबंधित है। इस मामले में पूरक तथ्य विवरणी प्राप्त हो चुकी है, जिसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। संबंधित सी0डब्लू0जे0सी0 में पारित आदेश का अनुपालन संबंधित पंचायत के मुखिया को करना है। मुखिया द्वारा इस संबंध में तथ्य विवरणी समर्पित की जा चुकी है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिरौल को कारणपृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया है। एम0जे0सी0 सुरेन्द्र चौधरी बनाम राज्य, जो अंचलाधिकारी, हायाघाट से संबंधित है, में तथ्य विवरणी प्राप्त हो चुकी है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 शिशिर कुमार झा का मामला अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर से संबंधित है, लेकिन इस मामले मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन धार्मिक न्यास परिषद् को करना है। एम0जे0सी0 शिवजी प्रसाद सिंह बनाम राज्य, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी से संबंधित है, इस मामले में न्यायादेश का अनुपालन करते हुये कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। एम0जे0सी0 केडिया साईन्टेफिक सर्जिकल बनाम राज्य का मामला अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0 से संबंधित है। इस मामले मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुये कारणपृच्छा दाखिल करने का निदेश अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0 को दिया जाता है। एम0जे0सी0 पिंकी देवी बनाम राज्य का मामला ऑगनबाड़ी से संबंधित है, जिसका निष्पादन समाहर्त्ता, न्यायालय द्वारा किया जाना है। एम0जे0सी0 बबीता देवी बनाम राज्य का मामला ऑगनबाड़ी सेविका के नियोजन से संबंधित है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इससे संबंधित सी0डब्लू0जे0सी0 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। एम0जे0सी0 मंगली देवी बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, बिरौल से संबंधित है। बिरौल प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को इस मामले की तथ्य विवरणी अविलंब उपलब्ध करवाने का निदेश दिया गया।	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/स्थापना उप समा. दरभंगा/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बिरौल प्रखंड/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा
4.	महत्वपूर्ण लंबित सी0डब्लू0जे0सी0 वादों की समीक्षा के कम में पाया गया कि सी0डब्लू0जे0सी0 विकास चन्द्र उर्फ गुड्डू बाबा बनाम राज्य के मामले में दरभंगा जिले के लिये काई नया न्यायादेश पारित नहीं किया गया है। सी0डब्लू0जे0सी0 रामनन्दन सिंह बनाम राज्य बनाम राज्य का मामला जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा से संबंधित है एवं सेवानिवृत पंचायत सचिव को सेवांत लाभ भुगतान करने का है। जिला पचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस मामले में तथ्य विवरणी प्राप्त हो चुकी है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। उन्हें तथ्य विवरणी में आवश्यक सुधार करवाते हुये इस सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करवाने का निदेश दिया गया। सी0डब्लू0जे0सी0 मनोज कुमार चौधरी बनाम राज्य के मामले में तथ्य विवरणी प्राप्त हो चुकी है, जिसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। उक्त तथ्य विवरणी में सुधार करवाते हुये इस सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करवाने का निदेश स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा को दिया गया। एस0एल0पी0 न0 7484/2014 मो0 ज्याउल होदा बनाम राज्य का मामला स्थापना उप समाहर्त्ता से संबंधित है। स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि इस मामले में तथ्य विवरणी अनुमोदित हो चुकी है एवं अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। सी0डब्लू0जे0सी0 प्रभु ना0 लाम बनाम राज्य के मामले में दि0 12.08.2014 तक प्रति शपथ पत्र दाखिल करवाने का निदेश है, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी की व्यक्तिगत उपस्थिति हो सकती है। स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि इस मामले की तथ्य विवरणी तैयार कर ली गयी है। उन्हें अग्रेत्तर कार्रवाई का निदेश दिया गया। सी0डब्लू0जे0सी0 अनिल कुमार सिंह बनाम राज्य जो अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा से संबंधित है। इस मामले की सुनवाई दिनांक 05.08.2014 को निर्धारित है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को इस मामले में शीघ्र तथ्य विवरणी समर्पित करने का निदेश दिया गया। सी0डब्लू0जे0सी0 सीताराम पासवान बनाम राज्य के मामले में वरीय प्रभारी पदाधिकारी, हायाघाट प्रखंड द्वारा बताया गया कि इस मामले में तथ्य विवरणी तैयार कर अंचलाधिकारी, हायाघाट द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भेजा जा चुका है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को इस मामले मे प्रति शपथ पत्र इस सप्ताह में दाखिल करवाने का निदेश दिया गया।	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा/स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

	सी0डब्लू0जे0सी0 12263/2010 उपेन्द्र ना0 झा बनाम राज्य का मामला वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा से संबंधित है। इस मामले में दि0 31.07.2014 तक पूरक प्रति शपथ पत्र दायर करने का निदेश है। वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा द्वारा बताया गया कि इस मामले में प्रतिवेदन भेजा जा चुका है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को इस सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करवाने का निदेश दिया गया। सी0डब्लू0जे0सी0 पिंकी कुमारी बनाम राज्य एवं सी0डब्लू0जे0सी0 कोमल कुमारी बनाम राज्य के मामले में क्रमशः 08.08.2014 एवं 01.08.2014 तक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निदेश है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा को उपरोक्त दोनों मामलों में अविलंब प्रति शपथ पत्र दाखिल करवाने का निदेश दिया जाता है। सी0डब्लू0जे0सी0 मुरलीधर बनाम राज्य, यह मामला खान निरीक्षक, दरभंगा से संबंधित है तथा इस मामले में 28.07.2014 तक ही पूरक प्रतिशपथ दाखिल करने का निदेश है। इस मामले में श्री कमरे आलम, वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा को ओथ लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है। सी0डब्लू0जे0सी0 वकील अहमद बनाम राज्य, यह मामला अलीनगर प्रखंड में शिक्षक नियोजन से संबंधित है तथा 22.07.14 तक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निदेश है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दाखिल करवाने का निदेश दिया गया।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा / श्री कमरे आलम, वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा / जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा
6.	सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उनके प्रखंड क्षेत्र के ऐसे ई0बी0, जिसमें एक भी आपत्ति आवेदन प्राप्त नहीं हुये हो, वहाँ आवेदन प्राप्त करते हुये इसकी जाँच करावें एवं उसे कम्प्यूटरीकृत करावें। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि द्वितीय चरण में दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में मात्र 3200 आपत्ति आवेदन प्राप्त हुये हैं। मुख्य सचिव, बिहार का निदेश है कि शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में डुगडुगी पिटवा कर आपत्ति आवेदन प्राप्त किया जाय। इसका अनुपालन करवाने का निदेश नगर आयुक्त को दिया गया। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि प्राप्त सभी आत्तियों की जाँच करवा कर उसे कम्प्यूटरीकृत करवाना सुनिश्चित करें।	नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम / सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी
7.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि 31 अगस्त 2014 तक खाद्यान्न के बैक लॉग का शत प्रतिशत उठाव करना है। अभी तक 749116 क्विंटल में से 281987 क्विंटल का उठाव हो चुका है, जो लगभग 36 प्रतिशत होता है। दिनांक 27.07.14 को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में गेहूँ उपलब्ध नहीं रहने के कारण मात्र 17 गाड़ी का उठाव हुआ है। आज गेहूँ का रैक लग रहा है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को खाद्यान्न उठाव में तेजी लाने का निदेश दिया गया। सी0एम0आर0 के 370 लॉट लक्ष्य के विरूद्ध 127 लॉट का उठाव हुआ है। उठाव में तेजी लाने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को दिया गया। धान का उठाव सभी प्रखंडों से हो चुका है, केवल बहेड़ी में लगभग 300 एम0टी0 धान का उठाव बॉकी रह गया है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को इस सप्ताह में बहेड़ी प्रखंड से धान का उठाव करने का निदेश दिया गया।	जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा
8.	राशन कार्ड वितरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बहादुरपुर प्रखंड में बाद में उपलब्ध कराये गये राशन कार्डों में लगभग 60 प्रतिशत का वितरण हुआ है। अलीनगर प्रखंड में पकड़ी पंचायत में लगभग 70 प्रतिशत कार्डों का वितरण हुआ है। अन्य पंचायतों में वितरण पूर्ण हो चुका है। गौड़ा बौराम प्रखंड में कुल 7710 में से 3532 राशन कार्डों का वितरण किया जा चुका है। किरतपुर प्रखंड के 8 पंचायतों में से 6 पंचायतों में राशन कार्ड का वितरण हो चुका है एवं 2 पंचायतों में वितरण चल रहा है। उपरोक्त सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को राशन कार्ड वितरण कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।	संबंधित प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी
9.	जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 26 जुलाई तक 235.59 एम0एम0 के विरूद्ध 216.90 एम0एम0 वर्षा हुई है। जून माह में भी कम वर्षा हुई थी। कुल मिलाकर लगभग 64 एम0एम0 कम वर्षा हुई है। डीजल अनुदान की राशि प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है। इस सप्ताह में डीजल अनुदान वितरित करवाने का निदेश उन्हें दिया गया। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि पंचायतवार फसल आच्छादन एवं वर्षापात का प्रतिवेदन आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मरों के खराब रहने के कारण बन्द पड़े राजकीय नलकूप या लघु सिंचाई की योजना की सूची भी आज ही उपलब्ध कराने का निदेश उन्हें दिया गया। कार्यपालक अभियंता, राजकीय नलकूप बिना किसी पूर्व स्वीकृति के आज की बैठक से अनुपस्थित हैं, उनके आज का वेतन बन्द करने एवं उनके विभागीय सचिव को प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा / विशेष कार्य पदाधिकारी–1

10.	ई–किसान भवन निर्माण की समीक्षा के कम में पाया गया कि मनीगाछी प्रखंड की योजना पूर्ण हो चुकी है, इसे शीघ्र कृषि विभाग को हस्तान्तरित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियत्रण संगठन–1, दरभंगा को दिया गया। कुशेश्वरस्थान की योजना में फिनिसिंग कार्य बचा हुआ है, इसे दिनांक 05.08.14 तक पूर्ण करवाने का निदेश दिया गया। घनश्यामपुर की योजना की स्थिति यथावत है। इस योजना में दिनांक 05.08.14 से कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया। सदर प्रखंड की योजना के लिये उपलब्ध कराये गये जमीन का निरीक्षण कार्यपालक अभियंता एवं जिला कृषि पदाधिकारी को संयुक्त रूप से आज ही करने का निदेश दिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2 बेनीपुर को बहेड़ी, अलीनगर, गौड़ा बौराम, कु०स्थान पूर्वी, किरतपुर एवं तारडीह प्रखंडों में ई–किसान भवन के निर्माण की योजना कार्यन्वित करने हेतु दी गयी है। परन्तु उनके द्वारा किसी भी योजना में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इनका वेतन अगले आदेश तक बन्द करने का निदेश दिया गया। साथ ही कार्यपालक अभियंता को अविलंब योजनाओं में कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक [illegible] स्थानीय क्षेत्र [illegible] संगठन–1, दरभंगा / [illegible] कार्य पदाधिकारी–1 / [illegible] कृषि पदाधिकारी, दरभंगा / कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2 बेनीपुर
11.	विद्युत विभाग की कार्यों की समीक्षा के कम में कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि अभी 20–22 घंटे बिजली शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करायी जा रही है। रख–रखाव कार्य के लिये क्षेत्रवार बिजली बन्द की जाती है। शत् प्रतिशत जंफरों की बदली कर दी गयी है। इस माह में तीन ट्रान्सफॉर्मर जले है। उन्होने यह भी बताया कि बिलिंग एजेन्सी द्वारा इस माह में अत्यंत विलंब से दिनांक 21.07.14 को विद्युत विपत्र समर्पित किया गया है, जो न तो ट्रान्सफॉर्मरवार था और न ही सेक्शनवार। विद्युत विपत्रों की छटाई के उपरान्त इसका वितरण कराया जा रहा है। लगभग 6000 ऐसे विद्युत विपत्र है, जिसमें उपभोक्ता का कमांक ही अंकित नहीं है। विद्युत विपत्र में काफी गडबडी हुई है, जिसे ठीक कराने की कार्रवाई की जा रही है। जो भी विद्युत विपत्र जमा हो रहा है, उसका कम्प्यूटराईजेशन करवाने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि [illegible] विद्युत विपत्र एजेन्सी द्वारा विलंब से विपत्र दिया गया है, जिसके कारण अभी तक मात्र [illegible] प्रतिशत विद्युत विपत्र का ही वितरण हो सका है। उन्हें विद्युत विपत्र वितरण कार्य में तेजी लाने एवं लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की वसूली करने का निदेश दिया गया। ट्रान्सफॉर्मर लगाये जाने की समीक्षा के कम में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल को कुल 198 ट्रान्सफॉर्मरों को लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है एवं 136 ट्रान्सफॉर्मरों के लिये राशि भी उन्हें विमुक्त की जा चुकी है। 24 ट्रान्सफॉर्मरों के लिये पूर्व से प्राप्त प्री रिसिप्ट पर आज कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, से प्राप्त प्री रिसिप्ट [illegible] जा रही है, जबकि बाद में प्राप्त 4 ट्रान्सफॉर्मरों के लिये प्री रिसिप्ट [illegible] दरभंगा–1 द्वारा राशि विमुक्त की जा रही है, जबकि बाद में प्राप्त 4 ट्रान्सफॉर्मरों के विरूद्ध राशि विमुक्त करने की कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, बेनीपुर को 32 ट्रान्सफॉर्मरों के लिये राशि विमुक्त करना है, परन्तु उन्हें मात्र 21 ट्रान्सफॉर्मरों के लिये प्री रिसिप्ट कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। 21 ट्रान्सफॉर्मरों के लिये राशि विमुक्त करने की कार्रवाई कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बेनीपुर–2 द्वारा की जा रही है। जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि 11 ट्रान्सफॉर्मरों के लिये प्री रिसिप्ट देने में हुये विलंब की जॉच कर आज ही प्रतिवेदन समर्पित करें। हनुमाननगर प्रखंड में 5 एम0भी0ए0 का ट्रान्सफॉर्मर जल गया है। हॉलांकि की ट्रान्सफॉर्मर का बदला जा चुका है, परन्तु पूर्व में ट्रान्सफॉर्मर के जलने के दौरान लाईन नहीं कटा। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि ब्रेकर खराब रहने के कारण लाईन नहीं कट सका। बजाज कम्पनी को दो माह पूर्व ही ब्रेकर बदलने का निदेश दिया गया था। इस योजना की स्वीकृति बी0आर0जी0एफ0 मद से मिली हुई है। उन्हें योजनाओं की पूरी सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। 230 ट्रान्सफॉर्मरों में नेम प्लेट लगाये जाने के विरूद्ध मात्र 65 में अभी तक नेम प्लेट लगाये गये है। पिछले सप्ताह में 60 ट्रान्सफॉर्मर पर नेम प्लेट लगाये जा चुके थे। इस प्रकार गत सप्ताह में मात्र 5 ट्रान्सफॉर्मरों पर ही नेम प्लेट लगे है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि [illegible] सप्ताह में 11 ट्रान्सफॉर्मर लगाये गये है। इससे स्पष्ट है कि नये लगाये गये ट्रान्सफॉर्मरों पर भी [illegible] द्वारा नेम प्लेट नहीं लगाया गया है जबकि पूर्व में ही इसके लिये निदेशित किया जा चुका [illegible] कार्यपालक अभियंता से इस संबध में स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। नव निर्मित बस स्टैण्ड दरभंगा से विद्युत पोल एवं तार हटवाने का निदेश काफी पूर्व में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा को दिया गया था। परन्तु समीक्षा के [illegible] पाया गया कि अभी तक कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है। उन्हें [illegible] कार्य प्रारंभ कराने एवं संध्या तक स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण / शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा / जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा / विशेष कार्य पदाधिकारी–1

	...ल सर्जन, दरभंगा द्वारा बताया गया कि अ0प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, रानीपुर के एप्रोच पथ के लिये पत्राचार ...या गया है। कशी अ0प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र में जलापूर्ति का कार्य अभी तक नहीं कराया गया है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा–1 द्वारा बताया गया कि 2012 में ही उपलब्ध कराई गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित करते हुये शेष राशि की मॉग सिविल सर्जन, दरभंगा से की गयी थी, परन्तु राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। सिविल सर्जन, दरभंगा द्वारा बताया गया कि राशि विमुक्त करने के लिये संचिका उपस्थापित की गयी है, जो लंबित है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह पूर्व ही उक्त संचिका का निष्पादन हो चुका है, परन्तु सिविल सर्जन, दरभंगा को इसकी जानकारी नहीं है। पहले भी कई मामले इसी प्रकार के पाये गये है, जिसमें सिविल सर्जन, दरभंगा को किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी, उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत कय किये गये मोबाईल मेडिकल यूनिट भान का निबंधन एवं बीमा करवाने का अनुरोध सिविल सर्जन, दरभंगा द्वारा किया गया। जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा को इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।	विशेष कार्य पदाधिकारी–1/जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा
13.	अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0 आज की बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये गये। उनके आज का वेतन बन्द करने एवं उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। आकस्मिक विभाग एवं वाह्य विभाग में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने के संबंध में अधीक्षक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इसके लिये निविदा आमंत्रित की गयी है। उन्हें निदेश दिया गया कि आकस्मिक विभाग में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों का रोस्टर अपर समाहर्त्ता, दरभंगा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि चिकित्सकों की उपलब्धता की रैन्डमली जॉच करायी जा सके। आकस्मिक विभाग एवं वाह्य विभाग में कम से कम दो शौचालय एवं जलापूर्ति व्यवस्था को इस सप्ताह में ठीक करवाने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा को दिया जाता है। शिशु विभाग में चल रहे भवन निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा द्वारा बताया गया कि दीवार में टाईल्स लगाने का काम पूर्ण हो चुका है। उन्हें अगले एक माह में कार्य पूरा करने का निदेश दिया गया।	विशेष कार्य पदाधिकारी–1/अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0/ कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा/ कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा
14.	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि 1–14 अगस्त 2014 के बीच सभी प्रखंडों के पंचायतों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण का कार्य किया जाना है। इसके लिये कार्य योजना तैयार की गयी है। आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारियों को राशि अंतरित करने की कार्रवाई की जा रही है। बैंकों से पंचायतों में राशि सुरक्षित पहुँचाने तथा वितरण स्थल पर विधि व्यवस्था संधारित करने हेतु आवश्यक प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत करने का निदेश विशेष कार्य पदाधिकारी–2 को दिया गया। दरभंगा शहरी क्षेत्र में टैक्स कलेक्टर तथा विकास मित्र की सहायता से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि वितरित करवाने का निदेश आयुक्त, दरभंगा नगर निगम को दिया गया।	विशेष कार्य पदाधिकारी–2/आयुक्त, दरभंगा नगर निगम
15.	पंचायत सरकार भवन के निर्माण की समीक्षा के कम में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1 द्वारा बताया गया कि उन्हें 27 योजनाएँ दी गई है, जिसमें से एक योजना में कार्य प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, बेनीपुर–2 द्वारा 28 योजनाओं में से 2 में कार्य प्रारंभ किया गया है। दोनों प्रमंडलों को मिलाकर कुल 9 योजनाएँ भूमि विवाद के कारण प्रारंभ नहीं की जा सकी है। शेष योजनाएँ विभिन्न स्तरों पर लंबित है, जिसमें कार्य प्रारंभ कराया जाना है। दोनों कार्यपालक अभियंताओं को ऐसी सभी योजनाओं में शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, दरभंगा–1/बेनीपुर–2
16.	मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा के कम में प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 181 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना विभिन्न कारणों से बन्द है। अलीनगर प्रखंड के संवेदक द्वारा स्तीफा दे दिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि संवेदक की प्रतीक्षा सूची में से अलीनगर के लिये संवेदक की नियुक्ति करें। मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न का एस0आई0ओ0 शीघ्र निर्गत करने का निदेश जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के प्रतिनिधि को दिया गया।	प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, दरभंगा/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम
17.	समाहरणालय में बने आर0टी0पी0एस0 काउन्टर का प्लेटफॉर्म काफी नीचा रहने के कारण आवेदकों को परेशानी हो रही है। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग उक्त प्लेटफॉर्म को ऊँचा करवाना सुनिश्चित करें।	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा
18.	विशेष कार्य पदाधिकारी–2 द्वारा जिला स्तरीय वैसे कार्यालयों का नाम पढ़ कर सुनाया गया, जिनके पदाधिकारी से प्रत्येक सोमवार को अपने कर्मियों के साथ होने वाली बैठक की कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे सोमवार के साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से जिला गोपनीय शाखा में भेजना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के अतिरिक्त सभी कार्यालय प्रधान को अपने कार्यालय के सहायकों के लॉग बुक जॉच करने का निदेश दिया गया कि पत्रों का संधारण एवं निष्पादन सही ढंग से हो रहा है अथवा नहीं। साथ ही उनके अधीनस्थ पदस्थापित पदाधिकारियों/सहायकों/अन्य कर्मियों के आवासन का पता सत्यापित कर इसकी एक प्रति जिला गोपनीय प्रशाखा में समर्पित करने का निदेश दिया गया।	जिला स्तरीय सभी संबंधित पदाधिकारी

28.7.14

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या.......2026/सी0, लहेरियासराय, दिनांक 28 जुलाई, 2014.

प्रतिलिपि जिला स्तरीय सभी विभागीय/तकनीकी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

39